<u>कमर्शियल पायलेट लायसेंस नियम, 2003</u>

मध्यप्रदेश शासन
विमानन विभाग
<u>मंत्रालय</u>

कमर्शियल पायलेट लायसेंस नियम, 2003

क्रमांक एफ 4–1/2003/पैंतालीस, भोपाल, दिनांक 25 जून, 2003

1. **संक्षिप्त नाम** : ये नियम मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिये, कमर्शियल पायलेट लायसेंस नियम, 2003 कहलायेंगे तथा ये नियम जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

2. **क्षेत्र** : आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कमर्शियल पायलेट लायसेंस प्राप्त करने के लिये राज्य शासन उड्डयन छात्रवृत्ति प्रदान करेगा । प्रशिक्षण मध्यप्रदेश फ्लाईंग क्लब के इन्दौर बेस एवं भोपाल शाखा में दिया जावेगा ।

3. **न्यूनतम अर्हतायें** : केवल वे ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार इस छात्रवृत्ति के पात्र होंगे, जो :

   1. जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों ।
   2. **आयु सीमा** : न्यूनतम आयु चालू वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष होना चाहिये । अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक न हो ।
   3. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें** : गणित तथा भौतिक शास्त्र विषय से 102 अथवा इंटरमीजिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
   4. **उड़ान अनुभव :** ऐसे उम्मीदवार जिनके पास वैध भारतीय प्रायवेट पायलट लायसेंस जो महानिदेशक नागर विमानन द्वारा जारी किया गया हो, 60 उड़ान घंटे का अनुभव, जिसमें 30 उड़ान घंटे का पायलट–इन–कमाण्ड अनुभ्व हो।
   5. ऐसे उम्मीदवार जिनके माता–पिता/माता–पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक की वार्षिक कर योग्य आय रूपये 2.50 लाख से अधिक नही होना चाहिये ।

4. **छात्रवृत्ति की सीमा** : प्रत्येक छात्रवृत्ति उड़ान 190 उड़ान घंटों की होगी ।

5. **छात्रवृत्तियों की संख्या** : छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 3 (तीन) होगी, जो 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति एवं 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये होगी ।

6. **<u>चयन</u>** : उम्मीदवार को निर्धारित सेंटर में, लिखित परीक्षा एवं मौखिक साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना होगा । लिखित परीक्षा निम्न विषयों की होगीः–

अ. एयर रेग्युलेशन्स, एयर नेवीगेशन, एविएशन मेट्रोलोजी तथा विमान एवं इंजिन (सामान्य) जो प्रायवेट पायलेट लायसेंस कोर्स तथा आवश्यक स्तर का हो ।

ब. सामान्य ज्ञान/ बौद्धिक परीक्षा : लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का मौखिक साक्षात्कार निम्न चयन समिति द्वारा लिया जावेगा ।

1.	संचालक, विमानन, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त /उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग	सदस्य
3.	मानसेवी सचिव, म.प्र. फ्लाईंग क्लब, इन्दौर	सदस्य
4.	नियंत्रक उड़ान योग्यता (मध्यप्रदेश में महानिदेशक, नागर विमानन के प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	मध्यप्रदेश फ्लाईंग क्लब के मुख्य उड़ान प्रशिक्षक	सदस्य

स. मौखिक साक्षात्कार में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा के अंकों में शामिल करते हुये प्रत्येक वर्ग से 1 अभ्यार्थी चुना जायेगा तथा 1 अभ्यार्थी प्रतीक्षा सूची के लिये रखा जायेगा ।

द. चयनित उम्मीदवार के शैक्षणिक अर्हता/जाति प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र की जांच कराई जावेगी ।

इ. **<u>राज्य शासन का अनुमोदन</u>** : उक्त बिन्दु श्दश् में वर्णित जॉच उपरान्त ही अनुशंसित सूची राज्य शासन को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जावेगी तथा राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति जारी की जा सकेगी ।

7. **<u>चिकित्सकीय जॉच</u>** : ऐसे उम्मीदवार जिन्हें एयरक्राफ्ट रूल्स, जिनके अंतर्गत कामर्शियल पायलट लायसेंस प्रदान किया जाता है, को चिकित्सा जॉच में उपस्थित होना होगा । चिकित्सकीय जॉच में उपयुक्त नहीं पाये जाने पर, प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा ।

8. **<u>प्रशिक्षण की अवधि</u>** : छात्रवृत्ति की अवधि वास्तविक उड़ान की तिथि से एक वर्ष के लिये होगी, जो राज्य शासन द्वारा सक्षम कारणों से बढ़ाई जा सकेगी।

9. **<u>छात्रवृत्ति के चार्जेस का भुगतान</u>** : राज्य शासन द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के उड्डयन प्रशिक्षण के चार्जेज, मध्यप्रदेश फ्लाईंग क्लब, इन्दौर द्वारा देय प्रस्तुत किये जाने पर, सीधे मध्यप्रदेश फ्लाईंग क्लब, इन्दौर को भुगतान किये जावेंगे ।

10. **<u>चयनित उम्मीदवार फ्लाईंग क्लब के नियमों के अंतर्गत होंगे</u>** : चयनित उम्मीदवार मध्यप्रदेश फ्लाईंग क्लब के सदस्य/केडिट प्रशिक्षण के दौरान होंगे और फ्लाईंग क्लब के नियमों के अधीन रहेंगे । उम्मीदवार मध्यप्रदेश फ्लाईंग क्लब के नियमानुसार सदस्यता शुल्क, चिकित्सा जॉच शुल्क, तकनीकी परीक्षा तथा अन्य प्रकार के शुल्क स्वयं वहन करेंगे ।

11. **<u>छात्रवृत्ति का व्यपवर्तन</u>** : उम्मीदवार प्रशिक्षण की अवधि में संतोषप्रद रहेंगे । उम्मीदवार के असंतोष प्रदर्शन अथवा अन्य कारणों से छात्रवृत्ति समाप्त की जा सकेगी ।

12. **<u>दुर्घटना के लिये शासन की जिम्मेदारी नहीं होगी</u>** : राज्य शासन किसी भी रूप में प्रशिक्षण, या अन्य किसी भी कारण से प्रशिक्षणार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने/हुई हानि के लिये जिम्मेदार नहीं होगा । यह हानि संबंधित प्रशिक्षणार्थी की जवाबदारी होगी ।

13. यदि इन नियमों में कोई विवाद होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा ।

14. इन नियमों के प्रभावशील होने पर पूर्ववर्ती नियम एवं तत्संबंधी समस्त आदेश समाप्त हुये माने जायेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(आर.एन.बैरवा)
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,
विमानन विभाग